-प्रेस नोट-

दिनांकः 04.10.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा हत्यारोपी 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, अभियुक्तगण की निशानदेही पर आलाकत्ल कारबिन बरामद

अवगत कराना है कि आज दिनांक 04.10.2024 को वादिया श्रीमति हिना पत्नि मुनीर पुत्री मुस्ताक निवासी संकलापुरी रोड हनुमान नगर लीची का बाग थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1. मुस्तकीम पुत्र मुस्ताक निवासी संकलापुरी रोड हनुमान नगर लीची का बाग थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर व 2. इनाम पुत्र इस्लाम नि0 नदीम कालौनी थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर द्वारा वादिया के भाई वसीम पुत्र मुस्ताक उम्र करीब 27 वर्ष की पीट-पीट कर हत्या कर देने के सम्बन्ध मे थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 296/2024 धारा 103(1) बीएनएस में पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक कुतुबशेर को आवश्यक आदेश-निर्देश दिये गये। आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 04.10.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए 02 हत्यारोपी **अभियुक्तगण 1. मुस्तकीम पुत्र मुस्ताक निवासी संकलापुरी रोड हनुमान नगर लीची का बाग थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर व 2. इनाम पुत्र इस्लाम नि0 नदीम कालौनी थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर** को कारगिल गेट के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण की निशानदेही पर आलाकत्ल कारबिन (लकड़ी पर डिजाइन बनाने का औजार) बरामद। अभियुक्तगण के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करते हए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

विवरण पूछताछः- अभियुक्त मुस्तकीम उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि बहन हीना के मकान में मै, मेरा भाई वसीम, माँ शायरा बानो, वालिद मौ0 मुस्ताक, छोटे भाई कल्लू के साथ रहते है मेरा भाई सभी प्रकार का नशा करने का आदि था वसीम नशा करने के बाद मुझे मेरी माँ व बहन के साथ आये दिन गाली गलौच व मारपीट करता था हम वसीम से तंग आ गये थे कल दिनांक 03.10.24 की शाम को मैने व मेरे मामा इनाम नदीम कालौनी मे साथ बैठकर शराब पी थी जब हम शराब पीकर घर जा रहे थे तो अकसा मस्जिद के पास हमे वसीम मिला वसीम ने हमे कहा कि मै भी दारु पियूगां मैने फिर दो देशी क्वाटर शराब के मगवाये हम तीनो ने दबनी कब्रिस्तान के सामने रेलवे लाईन के किनारे बैठकर शराब पी शराब पीते समय हमे नशा हो गया था वसीम मुझे व मामा इनाम को गाली देने लगा था हमे गुस्सा आ गया था वसीम को मामा इनाम ने पकड लिया था मैने गुस्से मे वसीम की गर्दन, सिर, पेट व छाती पर हाथ मे लिये कारबिन (लकडी पर डिजाइन बनाने के औजार) से कई वार किये जिससे वसीम की मौके पर ही मौत हो गयी थी उस औजार को मैने पास के धान के खेत मे फेक दिया था इसके बाद हम दोनो अपनी बहन हीना के घर संकरपुरी में पहुचे मेरी बहन ने खून के कपडे देखकर पूछा तो हमने सही सही बात अपनी बहन हीना को बता दी थी। फिर हमने अपने खून से सने पहने कपडो को छत पर जाकर उतारकर रख दिये थे व दूसरे कपडे पहन लिये थे। मैंने साथ चलकर कारबिन व खून से सने कपडे बरामद करा दिये है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. मुस्तकीम पुत्र मुस्ताक निवासी संकलापुरी रोड हनुमान नगर लीची का बाग थाना को0 देहात जिला सहारनपुर
2. इनाम पुत्र इस्लाम नि0 नदीम कालौनी थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

01 कारबिन (लकडी पर डिजाईन बनाने वाला औजार)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नामः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री राजीव कुमार गौर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. उ0नि0 श्री सचिन पूनिया थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
4. का0 372 कपिल कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
5. का0 2411 सचिन कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः-04.10.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहानरपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा, सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तो को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व मे दिनांक 04.10.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा 02 वारण्टी **अभियुक्तगण 1. राजकुमार पुत्र मुल्लन निवासी ग्राम बहलोलपुरर थाना सरसावा सहारनपुर** सम्बन्धित वाद संख्या 2456/24 मु0अ0स0 401/2019 धारा 60 आबकारी अधिनियम में व **2. राजपाल पुत्र मेहर सिंह निवासी ग्राम बोन्सा थाना सरसावा सहारनपुर** सम्बन्धित वाद संख्या 282/24 मु0अ0स0 36/1994 धारा 506 भादवि में थाना क्षेत्र सरसावा से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त

1. राजकुमार पुत्र मुल्लन निवासी ग्राम बहलोलपुरर थाना सरसावा सहारनपुर
2. राजपाल पुत्र मेहर सिंह निवासी ग्राम बोन्सा थाना सरसावा सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली टीम

1. उ0नि0 श्री रणवीर सिंह थाना सरसावा सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री राजीव कुमार थाना सरसावा सहारनपुर
3. है0का0 71 प्रदीप कुमार थाना सरसावा सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक: 04-10-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

एण्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स व थाना गंगोह की सयुक्त पुलिस टीम द्वारा मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले गिरोह के 02 शातिर नशा तस्कर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 314 किलो 200 ग्राम अवैध डोडा/पोस्त (अनुमानित अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य करीब 60 लाख रुपये) बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक एण्टी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स मुख्यालय लखनऊ के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक (एण्टी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स मुख्यालय लखनऊ) व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार में लिप्त शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री हृदय नारायण सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 04.10.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना ए0एन0टी0एफ0 व थाना गंगोह की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के 02 सक्रिय नशा तस्कर सदस्य **1.अनस पुत्र तैय्यब निवासी ग्राम पावटी कलाँ थाना कैराना जनपद शामली व 2.फैजान पुत्र बाल्ला निवासी मौहल्ला कुरेशियान कस्बा व थाना गंगोह जनपद सहारनपुर** को सन्तौर-शीतलपुर रोड से प्रथामिक विद्यालय के सामने निर्माणाधीन मकान से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से **314 किलो 200 ग्राम अवैध डोडा/पोस्त (अनुमानित अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य लगभग 60 लाख रुपये)** बरामद। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना गंगोह पर मु0अ0सं0-447/2024 धारा 08/15/29/37 एनडीपीएस एक्ट, 1985 के पंजीकृत किया गया। अभियुक्तगणो के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किये जा रहे है।

पूछताछ का विवरण –अभियुक्तगण से अवैध डोडा/पोस्त के बारे पूछा गया तो अनस ने बताया गया कि यह मकान मेरे रिश्ते के भाई महबूब पुत्र आलमदीन निवासी ग्राम पावटी कलाँ थाना कैराना जनपद शामली का है यह डोडा/पोस्त भी उसी का है। मुझे तो यहा 3 दिन पहले ही डोडा की ऱखवाली के लिये महबूब ने भेजा था तथा फैजान पुत्र बाल्ला उपरोक्त ने बताया कि मै महबूब के लिये काम करता हूँ तथा वह मुझे डोडा की रखवाली के लिये पैसे देता है जिससे मै अपने शौक पूरे करता हूँ यह सब माल महबूब का ही है। महबूब राजस्थान से यह माल लेकर आता है और आसपास के राज्यो मे थोक मे सप्लाई करता है।

गिरफ्तार शुदा अभियुक्तगण -

1. अनस पुत्र तैय्यब निवासी ग्राम पावटी कलाँ थाना कैराना जनपद शामली
2. फैजान पुत्र बाल्ला निवासी मौहल्ला कुरेशियान कस्बा व थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

314 किलो 200 ग्राम अवैध डोडा/पोस्त

1430 रुपये नकद

01 मोबाइल फोन चिट बन्दी कि

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री नवीन कुमार ए0एन0टी0एफ0 थाना सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री अवधेश कुमार ए0एन0टी0एफ0 थाना सहारनपुर।
3. उ0नि0 श्री रवि कुमार ए0एन0टी0एफ0 थाना सहारनपुर।
4. उ0नि0 श्री राजकुमार गौतम थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
5. है0कां0 579 शेखर चौहान थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
6. है0का0 भूपेन्द्र सिंह ए0एन0टी0एफ0 थाना सहारनपुर।
7. कां0 1663 सचिन थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
8. कां0 688 प्रवीण थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
9. का0 सूरज देशवाल ए0एन0टी0एफ0 थाना सहारनपुर।
10. का0 अंकित कुमार ए0एन0टी0एफ0 थाना सहारनपुर।
11. का0 शिवम चौधरी ए0एन0टी0एफ0 थाना सहारनपुर।
12. का0 अश्वनी कुमार ए0एन0टी0एफ0 थाना सहारनपुर।
13. का0 विकास कुमार ए0एन0टी0एफ0 थाना सहारनपुर।

दिनांक: **04.10.2024**

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 एनबीडब्लू वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 04.10.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा 01 वारन्टी/एनबीडब्लू **अभियुक्त वसीम पुत्र सादो निवासी मौ0 गुज्जरवाडा थाना देवबन्द जिला सहारनपुर** सम्बन्धित वाद सं0 750/13 व मु0अ0सं0 407 ए /13 धारा 147/148/295ए /336/427/504/506 भादवि चालानी थाना देवबन्द, मा0न्यायालय एसीजेएम देवबन्द द्वारा निर्गत एनबीडब्ल्यू में मौ0 गुज्जरवाड़ा से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

वसीम पुत्र सादो निवासी मौ0 गुज्जरवाडा थाना देवबन्द जिला सहारनपुर सम्बन्धित

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1- उ0नि0 श्री संजय कुमार थाना देवबन्द जिला सहारनपुर

2- है0का0 1088 रवि कुमार थाना देवबन्द जिला सहारनपुर

3- का0 16 पवन थाना देवबन्द जिला सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 04.10.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा सिपाही पर जानलेवा हमले की घटना कारित करने वाले 03 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 03.10.2024 को वादी आरक्षी हरिसेन थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर पीएनओ - 202650254 की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1. सुशान्त पुत्र निर्मल निवासी मौहल्ला भगवती कालोनी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर, 2. मोहनलाल पुत्र जगदीश प्रसाद निवासी ग्रामे लखनौती थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर, 3. अमित गोयल पुत्र नरेन्द्र कुमार निवासी मौहल्ला शंकरपुरी कालोनी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर व 4. जहीर पुत्र नामालूम निवासी ग्राम मुजफ्फराबाद थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर द्वारा वादी के साथ गाली गलौच करते हुए बुरी तरह से मारपीट करना, लोहे की रोड व डण्डे से वादी के सिर पर और शरीर पर अन्य जगहो पर ताबड तोड वार करने जिससे आयी चोटो के कारण वादी का मौके पर ही बेहोश होकर गिर जाने व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध मे थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 294/2024 धारा 110/353(3)/352 बीएनएस के पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर घटना का अनावरण पर अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक कुतुबशेर को आदेश निर्देश दिये गये। आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 04.10.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए सिपाही पर जानलेवा हमले की घटना में वांछित 03 शातिर **अभियुक्तगण 1. सुशान्त पुत्र निर्मल निवासी मौहल्ला भगवती कालोनी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर, 2. मोहनलाल पुत्र जगदीश प्रसाद निवासी ग्राम लखनौती थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर व 3. अमित गोयल पुत्र नरेन्द्र कुमार निवासी मौहल्ला शंकरपुरी कालोनी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर** को मानकमऊ बस स्टैण्ड से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

विवरण पूछताछः- अभियुक्तगण ने पूछताछ पर बताया की हम लोग लोची ढाबे पर खाना खाने के लिए गये थे। हम लोग रोड पर गाडी खडी करके खाना खाने से पहले गाडी मैं बैठकर शराब पी रहे थे तो सामने से एक प्राईवेट एम्बुलेंस गाडी आयी उसे हमारी गाडी रास्ते मे ख़डी होने के कारण अस्पताल में जाने के लिए जगह नही मिली तभी एक व्यक्ति ने हमसे कहा की अपनी गाडी यहाँ से हटा लो तथा वह अपने आपको को थाना कुतुबशेर पर तैनात सिपाही बता रहा था। इसी बात को लेकर हममे कहा सुनी हो गयी और नशे मे होने के कारण हम चारो नें अपनी गाडी मे रखे लोहे की रोड व डन्डो से उसके सिर व अन्य अंगो पर मारा जिससे वह बेहोश होकर गिर गया था और हम लोग वहाँ से भाग गये थे तथा मानकमऊ बडी नहर में हमने अपनी लोहे की राड व डन्डो को फेंक दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. सुशान्त पुत्र निर्मल निवासी मौहल्ला भगवती कालोनी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर
2. मोहनलाल पुत्र जगदीश प्रसाद निवासी ग्राम लखनौती थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर
3. अमित गोयल पुत्र नरेन्द्र कुमार निवासी मौहल्ला शंकरपुरी कालोनी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर

अभि0 मोहनलाल का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0स0 73/18 धारा 332/353/447/504/506 भादवि व 3/4 डैमेज आफ प्रोपर्टी एक्ट थाना कोतवाली देहात

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नामः-

6. प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
7. उ0नि0 श्री असगर अली थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
8. उ0नि0 श्री ओमकार सिह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
9. का0 281 विकेन्द्र थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
10. का0 2224 तोताराम थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
11. का0 2478 पवन कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
12. का0 2502 नागेन्द्र थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

दिनांक: 04.10.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा दुष्कर्म के मुकदमे मे वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 03.10.2024 को वादी की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त समीर कुरैशी पुत्र परवेज निवासी ग्राम खुजनावर थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर द्वारा वादी की पुत्री के साथ अश्लील हरकत करने की सूचना के सम्बन्ध मे थाना फतेहपुर पर मु0अ0सं0 196/24 धारा 75 बीएनएस के पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु थाना प्रभारी फतेहपुर को आदेश-निर्देश दिये गये थे। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थाना प्रभारी श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 04.10.24 को मुखबिर की सूचना पर थाना फतेहपुर पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए दुष्कर्म के मामले में वांछित **अभियुक्त समीर कुरैशी पुत्र परवेज निवासी ग्राम खुजनावर थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर** को ग्राम माजरी जीवाला रोड़ से गिरफ्तार किया गया। पीडिता के बयान के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 65(1)/351(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

समीर कुरैशी पुत्र परवेज निवासी ग्राम खुजनावर थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री यमुना प्रसाद थाना फतेहपुर सहारनपुर
2. है0का0 961 रोहित राणा थाना फतेहपुर सहारनपुर
3. का0 1805 नितिन शर्मा थाना फतेहपुर सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 04.10.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली मण्डी पुलिस द्वारा अवैध रूप से पशु कटान करने वाले 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 05 कुंतल भैंस का मांस, कटान करने के उपकरण व दो अवैध चाकू बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व अवैध रूप से पशु कटान करने वाले अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नेमचन्द सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 04.10.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा अवैध रूप से पशु कटान करने वाले 02 शातिर **अभियुक्तगण 1. रिहान कुरैशी पुत्र नजर निवासी पीर वाली गली न0 16 थाना मण्डी सहारनपुर व 2. राजा पुत्र तसलीम निवासी नदीम कालोनी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर** को कमेला रोड़ से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्तगण के कब्जे से 05 कुन्तल भैस का मीट, 02 अवैध चाकू, 02 छुरी, 02 सुजा, 01 कुल्हाडी, 01 लकडी का गट्टा, 03 रस्सी, 04 कटरे के सिर व कटरे के 16 पैर बरामद । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना कोतवाली मण्डी पर मु0अ0स0 387/24 धारा 3/11 पशु क्रुरता अधिनियम व धारा 271/272 बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

अभियुक्तगण ने पूछताछ पर एक साथ बताया कि हम लोग पैसो के लालच में पशु कटान का काम करते है। इसमें हमे अच्छी कमाई हो जाती है। जिससे हम लोग अपनी जरूरते व शौक पूरा करते है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1. रिहान कुरैशी पुत्र नजर निवासी पीर वाली गली न0 16 थाना मण्डी सहारनपुर
2. राजा पुत्र तसलीम निवासी नदीम कालोनी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण –

- 02 अवैध चाकू
- 05 कुन्तल भैस का मीट,
- 04 कटरे के सिर व 16 पैर
- कटान करने के उपकरण (02 छुरी, 02 सुजा, 01 कुल्हाडी, 01 लकडी का गट्टा व 03 रस्सी)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. प्रभारी निरीक्षक श्री नेमचन्द सिंह थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री अश्वनी कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
3. हे0का0 672 प्रदीप कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
4. का0 2527 अनिल कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपर

-प्रेस नोट-

दिनांकः-04.10.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहानरपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा पुलिस द्वारा मारपीट कर जानलेवा हमला करने के मामले में 02 अभियुक्त गिरफ्तार, निशानदेही पर 02 अदद लोहे के सरिया व 02 अदद डण्डे बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 15.09.2024 को वादी आमिर पुत्र इकराम निवासी ग्राम ढिक्का कलां थाना सरसावा जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1. सावेज पुत्र गुलफाम, 2.मुसर्रफ पुत्र फुरकान, 3.शोयब पुत्र गुलफाम व 4.फुरकान पुत्र मंगत निवासीगण ग्राम ढिक्का कलां थाना सरसावा जनपद सहारनपुर द्वारा एक राय होकर वादी के भाई महकार, दानिश व ताऊ इस्लाम को रास्ते मे रोककर लाठी डन्डो व सरिया से मारपीट करने के सम्बन्ध मे थाना सरसावा पर मु0अ0सं0 286/2024 धारा 115(2)/126(2) बीएनएस के पंजीकृत किया गया। जांच/विवेचना के दौरान मुकदमा उपरोक्त में धारा 3(5),109 ,117(2),351(2),352 बीएनएस की बढोत्तरी की गयी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण व वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 04.10.2024 को थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा मकुदमा उपरोक्त में जानलेवा हमले की घटना में वांछित चल रहे **02 अभियुक्तगण 1.सावेज पुत्र गुलफाम निवासी ग्राम ढिक्का कलां थाना सरसावा जनपद सहारनपुर व 2.फुरकान पुत्र मंगत निवासी ग्राम ढिक्का कलां थाना सरसावा जनपद सहारनपुर** को थाना क्षेत्र सरसावा से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण की निशादेही पर घटना मे प्रयुक्त 02 अदद सरिये व 02 डण्डे बरामद किये गये। गिरफ्तार अभियुक्तो के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरणः- अभियुक्तगण ने पूछताछ पर एक साथ बताया कि दिनांक 15.09.24 को हमारा व हमारे गांव के ही इस्लाम, दानिश व महकार के साथ पुरानी रंजिश को लेकर झगडा हो गया था विवाद के दौरान हमने इस्लाम , दानिश व महकार आदि के साथ लाठी डण्डो व सरियो से मारपीट की थी मारपीट के दौरान इस्लाम को गम्भीर चोटे लग गयी थी मारपीट मे प्रयोग किये गये लाठी डण्डो व सरियो को आज हमने आपको बरामद करा दिये है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1.सावेज पुत्र गुलफाम निवासी ग्राम ढिक्का कलां थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

2.फुरकान पुत्र मंगत निवासी ग्राम ढिक्का कलां थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री रणवीर सिंह थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
2. है0का0 97 अनुराग सिंह थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
3. का0 2551 विक्रम सिंह थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
4. हो0गा0 1851 धर्मेन्द्र सिंह थाना सरसावा जनपद सहारनपुर